अध्याय – VII
संचालन पद्धतियां

7.01 संचालन पद्धतियाँः–

(1) स्टेशनों के बीच चलनेवाली सभी गाड़ियों का संचालन निम्नलिखित में से किसी एक पद्धति के अनुसार किया जायगा, अर्थात ;

(क) पूर्ण ब्लॉक पद्धति,

(ख) स्वचालित ब्लॉक पद्धति,

(ग) अनुगामी गाड़ी पद्धति,

(घ) पायलट गार्ड पद्धति,

(ङ) ट्रेन–स्टाफ तथा टिकट पद्धति, या

(च) केवल एक गाड़ी पद्धति।

(2) प्रत्येक रेल पर पूर्ण ब्लॉक पद्धति तथा स्वचालित ब्लॉक पद्धति का प्रयोग किया जाएगा। किन्तु उप नियम (1) में उल्लिखित किसी अन्य संचालन पद्धति का प्रयोग विशेष अनुदेशों के अधीन रेल या रेलों के किसी अन्य भाग पर मंजूर किया जा सकता है। प्रत्येक पद्धति का प्रयोग उसको लागू उन शर्तों के अधीन किया जायेगा जो इन नियमों में वर्णित हैं।

7.02 सिगनल तथा गाड़ी के संचालन से सम्बन्धित साधारण नियमों का लागू होनाः–

यदि कोई अन्यथा उपबन्ध नहीं किया गया है तो सिगनलों और गाड़ियों के संचालन से सम्बन्धित सभी नियम इन नियमों में वर्णित संचालन पद्धतियों को भी लागू होंगे।

CHAPTER VII
SYSTEMS OF WORKING

7.1. Systems of working:-

(1) All trains working between stations shall be worked on one of the following systems namely :-

(a) the Absolute Block System,

(b) the Automatic Block System,

(c) the Following Trains System,

(d) the Pilot Guard System,

(e) the Train-staff and Ticket System, or

(f) the One Train Only System.

(2) The Absolute Block and the Automatic Block Systems alone shall be used on every railway, except any railway or portion of a railway on which the use of any other system of working mentioned in sub-rule (1) may be sanctioned under special instructions subject to the conditions applicable to each system as described in these rules.

7.02. Applicability of General Rules referring to the working of signals and trains: -

All rules referring to the working of signals and trains also apply to the systems of working detailed in these rules, except where otherwise provided.